कार्यालय महानिदेशक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ।

नीलामी सूचना संख्या–985 / 6–11 / सा0प्र0 / 2016

दिनांकः 11 फरवरी, 2020

नीलामी की सूचना एवं शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनांक 28.02.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) योजना भवन, उ0प्र0 लखनऊ में स्थित टूटी हुई कुर्सियॉ, मेज एवं अन्य फर्नीचर, पुराने कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, की–बोर्ड, प्रिन्टर, एवं टाइपराइटर की नीलामी यथास्थान योजना भवन, लखनऊ में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों से यह आपेक्षा की जाती है कि वे उक्त सामग्री के नीलामी से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक कार्यालय महानिदेशक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) योजना भवन, उ0प्र0लखनऊ में जाकर उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्री को देख परख लें, यदिनीलामी के उपरान्त उनके द्वारा कोई कमी इंगित की जाती है, तो वह मान्य नहीं होगी।

क.सं.	सामग्री का नाम	नीलामी का दिनांक	धरोहर धनराशि (रु0 में)
1.	लकड़ी से बनी हुई जूनियर आफिस मेज, आफिस मेज छोटी, सोफा सेट 03 सीटर, हत्थेदार कुर्सी, ट्रेसिंग मेज, ड्राफ्टिंगमेज कुर्सी, कम्प्यूटर टेबल विध चेयर, टाइप राइटर, इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर, तराजू, साइकिल, बाइण्डिंग मशीन, फैक्स मशीन, पेपर कटिंग मशीन, अटैची, रूम हीटर, इमरजेंसी लाइट, टेबल लैम्प, कलर टी0वी0, वी0सी0आर0, पंखा विध स्टैण्ड, ए0सी0, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, कम्प्यूटर व पाकेट कैलक्यूलेटर	28.02.2020	5000.00

नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है :–

1– सामग्री की नीलामी **जहॉ है, जिस स्थिति में है,** के आधार पर की जायेगी। नीलामीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नीलामी में बोली बोलने से पूर्व सामग्री कार्यस्थल पर जाकर स्वयं देख परख लें, नीलामी के बाद यदि सामग्री में कोई कमी इंगित की जाती है, तो वह मान्य नहीं होगी।

2– बोली बोलने वाले को बोली तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 27.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक उपरोक्त कालम–4 में दर्शाई गई धरोहर धनराशि नकद रुप में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं उसे अपनी फोटो पहचान पत्र एवं पता प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूलप्रति दिखाना व उसकी छायाप्रति नीलामी प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

3– उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि, नकद नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद जमा करनी होगी, अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी।

4– उच्चतम बोलीदाता की उपरोक्त जमानत धनराशि रोक कर शेष बोलीदाताओं की जमानत धनराशि नीलामी की समाप्ति के उपरान्त उसी समय वापस कर दी जायेगी।

5– नीलामी की उच्चतम बोली सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की शेष धनराशि एवं नीलामी की कुल धनराशि पर देय जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि 07 (सात) दिवस के अन्दर जमा करनी होगी, नियत समय पर नीलामी की शेष धनराशि न जमा करने पर बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत की गई नीलामी को निरस्त करते हुए उसकी जमा की गई धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

6– नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी आवेदन प्रपत्र दिनांक 24.02.2020 से 27.02.2020 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, महानिदेशक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) योजना भवन उ0प्र0 लखनऊ स्थित कक्ष संख्या–526 पंचम तल से प्राप्त किये जा सकते है।

7– नीलामी का निस्तारण न होने तक नीलामी बोली की 25 प्रतिशत जमा धनराशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

8– नीलामी को स्वीकृत व अस्वीकृति करने का अधिकार महानिदेशक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के पास सुरक्षित होगा।

9– उक्त तिथि पर किन्ही अपरिहार्य कारणों से नीलामी नहीं की जाती है तो किसी व्यक्ति / फर्म का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा एवं सभी प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार महानिदेशक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ0प्र0 के पास सुरक्षित होगें।

10– कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर बोली नहीं लगा सकता है।

11– बोलीदाता की फर्म जी0एस0टी0 में पंजीकृत होनी चाहिए।

12– नीलामी स्वीकृत होने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करों सहित जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर ही समस्त सामग्री अपने खर्चे पर उठाना होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क अलग से लगाया जायेगा।

11/2/2020

(डा0 मिठाई सिंह यादव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ0प्र0